उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 21/2015/255/71-1-2015-ग-07/2014
लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2015
<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 पी0 एन0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आचार्य, हेल्थ एजुकेशन एवं पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, गोरखपुर को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3200/71-1-14-ग-07/2014, दिनॉक 19-05-2014 द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर में प्रवक्ता, हेल्थ एजुकेशन के पद पर 01 वर्ष के लिए नियुक्त/तैनात किया गया था। उक्त पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ता उपलब्ध हो जाने के कारण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/15, दिनॉक 28-01-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 पी0 एन0 श्रीवास्तव को मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एपिडिमियोलॉजिस्ट कम प्रवक्ता के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले उक्त चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 21/2015/255(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in